



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1476]
No. 1476]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2006/अग्रहायण 22, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2006/AGRAHAYANA 22, 1928

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2093(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के, कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की सं. का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को शामिल किया जाए, नामतः—

“(घ) डॉ. ए. सेन्थील वेल, —सदस्य
अपर निदेशक,
तटवर्ती क्षेत्रीय प्रबंधन प्रभाग,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित)।

[फा. सं. 33036/3/2005-मा. (टी-2)]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के सं. का. आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 25-8-2006 के सं. का.आ. 1359(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry,
Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2006

S.O. 2093(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O. 1803 (E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely:—

In the said notification, for serial number (d) and the entries related thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

“(d) Dr. A. Senthil Vel, —Member
Additional Director,
Coastal Zone Management Division,
Ministry of Environment and Forests,
(Nominated by the Ministry of Environment
and Forests).

[F.No. 33036/3/2005-Fy.(T-2)]

AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and *vide* No. S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* No. S.O. 1359(E), dated 25-8-2006.